

सड़क हादसे में बच्चे सहित चार घायल

सिवनी (स्वतंत्रमत)

सिवनी जिले के घंसीर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में बच्चे सहित चार लोग घायल हो गए। हादसा केवलारी गांव के पास हुई, बाइक सवार लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, केवलारी के पास अचानक एक मवेशी सड़क पर आ गया। बाइक चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन मवेशी से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसीर पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद, डॉक्टरों ने दो घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायलों की पहचान शिव लाल कुलस्ते (55), अच्छे लाल कुलस्ते (40), बेनी प्रसाद कुलस्ते (42)



और एक बच्चे (8) के रूप में हुई है। ये सभी खेती-किसानी का काम करते हैं और एक ही परिवार या परिचित बताए जा रहे हैं। आवारा मवेशियों से बड़ रहे हादसे, कार्रवाई की मांग हादसे ने सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली दुर्घटनाओं के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। ग्रामीण इलाकों में आवारा मवेशी

अक्सर सड़क हादसों का कारण बनते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी (स्वतंत्रमत)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर में बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परिसर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस या रैली निकालने तथा बिना अनुमति जापान देने हेतु प्रवेश करना भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा या अन्य किसी प्रकार के हथियार लेकर परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। जापान प्रस्तुत करने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यपालक दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत को देना अनिवार्य होगा। यदि

किसी को जापान देने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो समूह में से केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि ही कार्यालय में प्रवेश करेगा तथा संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में जापान प्रस्तुत करेगा। जापान प्राप्त कार्यालय के भीतर अथवा बाहर, संबंधित अधिकारी के विवेकानुसार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, परिसर में किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले कथन या किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि करने वाले कथ्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी जापान अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्वीकार किए जाएंगे। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय परिसर में आमजन पर लागू रहेगा, शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, मजिस्ट्रेट तथा शासन द्वारा आयोजित बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों को इससे छूट प्रदान की गई है।

खुले बोरेवेल नलकूप को लेकर जिले में धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी (स्वतंत्रमत)

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत द्वारा खुले एवं अनुपयोगी नलकूप बोरेवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर बोरेवेल/कुएं का निर्माण करने पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा इंतजाम के बोरेवेल खुला छोड़ने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध धारा 163 के तहत कार्यवाही की जाएगी। निर्देशों के तहत बोरेवेल/कुएं के निर्माण से पूर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जनपद पंचायत, नगर पालिका/परिषद अथवा ग्राम पंचायत को कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना

देना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी ड्रिलिंग एजेंसियों का पंजीयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक होगा। निर्माण के दौरान स्थल पर साइन बोर्ड लगाना होगा, जिसमें बोरेवेल/कुएं के मालिक एवं अंकित रहेगा। निर्माण स्थल की सुरक्षा हेतु चारों ओर घेराबंदी (बाड़) करना तथा निर्धारित माप का सीमेंट-कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाना भी अनिवार्य किया गया है। निर्माण पूर्ण होने के बाद बोरेवेल को स्टील प्लेट अथवा मजबूत कैप से बंद करना होगा। मरम्मत कार्य के दौरान भी बोरेवेल को खुला नहीं छोड़ा जाएगा तथा कार्य पूर्ण होने पर गड्डों को भरकर भूमि को पूर्ववत् स्थिति में लाना होगा। अनुपयोगी बोरेवेल/कुओं को मिट्टी, रेत, कंकड़ आदि से पूरी तरह भरना अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बोरेवेल/कुओं की निगरानी एवं दस्तावेजकरण ग्राम पंचायत एवं कृषि विभाग

द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। अनुपयोगी बोरेवेल को बंद करने का प्रमाण-पत्र संबंधित निकाय को प्रस्तुत करना होगा, जिसकी समय-समय पर जांच भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, नलकूप खनन कार्य के पंजीयन एवं खनन/ड्रिलिंग हेतु राज्य स्तर पर पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें सभी एजेंसियों एवं मशीनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं का नियमित अनुश्रवण करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण देने तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश जिले की संपूर्ण सीमा में लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी

सरस्वती शिशु मंदिर में समर कैम्प की धूम

छात्र छात्राएं कर रहे हैं ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग

सीखने को मिल रहा है खेल, योग, प्राणायाम, कम्प्यूटर, मेंहदी, रंगोली, डॉस और म्यूजिक

मिल रहा है विद्याभारती के वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन

नगर के वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ दे रहे हैं अपना योगदान

सिवनी (स्वतंत्रमत)

सरस्वती शिशु मंदिर सिवनी में चल रहे 15 दिवसीय समर कैम्प के प्रति भैया बहिनों का अतिशय उत्साह देखने को प्राप्त हो रहा है। समर कैम्प के 5 वें दिन लगभग 400 की संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक समर



कैम्प में अपनी सहभागिता दी। योग प्राणायाम से प्रारंभ होकर समर कैम्प मेंहदी, रंगोली, चित्रकला, डॉस, म्यूजिक, कम्प्यूटर, कर्सिव राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, वैदिक गणित आदि पर जाकर समाप्त हुआ। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त व्यक्तित्व

विकास की गतिविधियां प्रति दिन 6.30 बजे से प्रारंभ होकर 11.00 बजे समाप्त होती है। इन सभी गतिविधियों में सिवनी नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। 5 वें दिन विद्याभारती महाकौशल प्रांत के

वरिष्ठ अधिकारी अरुण पटेलवार का समर कैम्प में आगमन हुआ आपके द्वारा कैम्प का अवलोकन कर विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। चल रही गतिविधियों में सहभागी छात्र छात्राओं से चर्चा भी की गई। उनके द्वारा सीखे जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया गया। समस्त गतिविधियों के प्रति गहरा संतोष और प्रसन्नता भी व्यक्त की गई। इसके उपरांत विवेकानंद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नितिन चौधरी, व्यवस्थापक नृपेश ठाकुर, जिला सचिव विनीत जी अग्रवाल, सहव्यवस्थापक संदीप जी मोरघडें का भी आगमन हुआ। आपके द्वारा भी समर कैम्प में चल रही विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का अवलोकन कर अपने सुझाव और मार्गदर्शन दिया गया।

बाल विवाह रोकथाम के लिए सघन निरीक्षण एवं जागरूकता अभियान

सिवनी (स्वतंत्रमत)

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सिवनी के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए मंगलवार 5 मई को विभिन्न मैरिज लॉन-कृष्णा लॉन, राजवाड़ा, मंगलम, महाराजा, रीत, महेश्वरी एवं अग्रोहा लॉन-का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। वन स्टॉप सेंटर की टीम द्वारा विवाह स्थलों पर पहुंचकर बुकिंग रजिस्टर का परीक्षण किया गया तथा दूल्हा-दुल्हन की आयु संबंधी दस्तावेजों का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान लॉन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग बालक-बालिकाओं का विवाह न होने दिया जाए। साथ ही बाल विवाह की आशंका होने पर हेल्पलाइन नंबर 1098,



112, 181 अथवा वन स्टॉप सेंटर के मोबाइल नंबर 9691000769 पर तत्काल सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया। प्रशासन द्वारा आमजन से भी बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय सहयोग की अपील की गई है। महिला थाने की कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक इसी क्रम में हब फॉर एंपॉवरमेंट ऑफ वूमन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत दिनांक 05 मई 2026 को महिलाओं एवं बालिकाओं को

महिला थाना सिवनी का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (112, 181, 100, 1098) तथा आत्मरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। महिला थाना में पदस्थ उप निरीक्षक (रूढ़) श्रीमती जमुना जावरे ने थाना परिसर का भ्रमण कराते हुए बताया कि महिला थाना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भरोसेमंद वातावरण प्रदान करना

है, ताकि वे निर्भीक होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकें। इस अवसर पर पुलिस की भूमिका, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया एवं महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी दी गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को पुलिस से सीधे संवाद का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से कार्यसर्कर श्रीमती सोनल सक्सेना एवं श्रीमती वर्षा बेस सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

सिवनी के कराटे रिवलाड़ियों का राज्य स्तर पर दबदबा, स्वर्ण पदक जीतकर लौटे रिवलाड़ियों का छपारा में हुआ भव्य स्वागत

इंदौर में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने जीते पदक; बस स्टैंड पर गाजे-बाजे और फूल-मालाओं के साथ हुआ जोरदार अभिनंदन

सिवनी (स्वतंत्रमत)

इंदौर के आईपीएस पब्लिक स्कूल में आयोजित स्टेट सब-जूनियर कैडेट कराटे प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर लौटे जिले के सितारों का छपारा आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश

स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में स्पोर्ट्स कराटे डेवलपमेंट एसोसिएशन सिवनी के खिलाड़ियों ने पदकों की झड़ी लगाकर जिले का नाम पूरे प्रदेश में ऊंचा कर दिया है।

छपारा बस स्टैंड पर दिखा जबरदस्त उत्साह

जैसे ही जांबाज खिलाड़ी मेडल जीतकर छपारा बस स्टैंड पहुंचे, समूचा क्षेत्र भारत माता की जय और खिलाड़ियों के जयघोष से गुंज उठा। अभिभावकों, खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने बेंड-बाजे की मधुर धुनों के बीच



खिलाड़ियों को फूल-मालाओं से लाद दिया। गर्मजोशी से भरे इस स्वागत समारोह में हर शहरवासी की आंखें गर्व से नम थीं। नागरिकों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद इन खिलाड़ियों ने जो मुकाम हासिल

किया है, वह प्रेरणादायक है। निरंतर प्रयास का परिणाम: कोच नारायण सिंह प्रजापति खिलाड़ियों की इस सफलता का श्रेय एसोसिएशन के सचिव व विभागीय कोच श्री नारायण सिंह प्रजापति को जाता है। श्री प्रजापति

निरंतर जिले की प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का महती कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने न केवल तकनीक बल्कि अनुशासन का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्वर्ण और कांस्य पदकों की चमक

राजपूत और सूर्याश साहू का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा।

नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन इन सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन अब कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देहरादून (उत्तराखंड) में आयोजित होने जा रही सब-जूनियर कैडेट नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये खिलाड़ी अब वहां मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी फाइट का हुनर दिखाएंगे। इस उपलब्धि पर जिले भर के खेल प्रेमियों ने उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

जनपद स्तरीय विशेष जनसुनवाई में उमड़ा जनविश्वास

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की पहल पर जनपद

पंचायत

लखनादौन में आयोजित जनपद

स्तरीय विशेष

जनसुनवाई

आमजन की

सुविधा, सहज

पहुंच और त्वरित

समाधान के उद्देश्य

से सफलतापूर्वक

संपन्न हुई।

सिवनी (स्वतंत्रमत)

यह पहल प्रशासन को गांव-गांव तक पहुंचाने और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर ही उनकी

488 आवेदनों की प्रभावी सुनवाई, संभव आवेदनों का हुआ मौके पर निराकरण, जटिल मामलों के लिए तय हुई समय-सीमा



समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। इस विशेष जनसुनवाई में लखनादौन विकासखंड के दूरस्थ ग्रामों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। पहले जहां लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब उन्हें अपने ही क्षेत्र में कलेक्टर स्तर पर सुनवाई का अवसर मिला। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत हुई, बल्कि प्रशासन के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ।

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयं जनसुनवाई में प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता, संवेदनशीलता और आत्मीयता के साथ सुना। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदन को प्राथमिकता के साथ लेते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों का तत्काल समाधान संभव था, उनका मौके पर ही निराकरण किया गया, वहीं जटिल मामलों के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए समय-सीमा निर्धारित की गई।



जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, कृषि, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही छत के नीचे उपस्थित रहे। विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए टीमवर्क के माध्यम से समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया गया। कई मामलों में मौके पर ही दस्तावेजों का परीक्षण कर समाधान प्रदान किया गया, जिससे आवेदकों को तत्काल राहत मिली। कार्यक्रम के दौरान 488 आवेदकों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं, जिनमें प्रमुख रूप से

राजस्व प्रकरण, समग्र आईडी सुधार, पेंशन, राशन कार्ड, भूमि संबंधी विवाद, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतें एवं अन्य जनहित के मुद्दे शामिल रहे। बड़ी संख्या में आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जिससे लोगों के चेहरों पर संतोष और विश्वास स्पष्ट दिखाई दिया। जनपद स्तरीय विशेष जनसुनवाई न केवल समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बनी, बल्कि प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुई।

नवीन नागभिरे सामाजिक प्रकोष्ठ के बने कांग्रेस प्रदेश सचिव

सिवनी (स्वतंत्रमत)

बरघाट विधानसभा के युवा अधिवक्ता नवीन नागभिरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रकोष्ठ सचिव बनाए गए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार संगठन प्रभारी महासचिव डॉक्टर संजय कामले की सहमति से प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनुयाग भार्गव द्वारा प्रस्तुत कर समाज कल्याण के प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर अधिवक्ता नवीन नागभिरे को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया इस सफलता पर बरघाट क्षेत्र एवं जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है, नवीन नागभिरे को इस उपलब्धि पर इष्ट मित्रों, परिवार एवं कांग्रेसी जनों ने इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

विधायक राज द्वारा खाटू श्याम मंदिर सिवनी के लिए दी तोरण द्वार एवं ओपन जिम की स्वीकृति, समिति द्वारा आभार

सिवनी (स्वतंत्रमत)

दिनांक 5 मई 2026 को श्याम परिवार समिति के सदस्यों ने सिवनी के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय जी मुनमुन से भेंट की। समिति के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल द्वारा विधायक का श्रीफल एवं दुपट्टे से स्वागत किया गया साथ ही संतोष अग्रवाल जिला महामंत्री भाजपा का स्वागत संजय मोदी द्वारा किया गया मंदिर के निर्माण एवं विस्तार के विषय में विधायक को विस्तृत जानकारी दी गई जिसकी उन्होंने सराहना की। आगामी 15, 16, 17 जून को आयोजित होने वाले खाटू श्याम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठ

समारोह में विधायक को आमंत्रित किया गया, विधायक द्वारा आमंत्रण स्वीकार करते हुए समस्त कार्यक्रमों में शामिल होने का आश्वासन दिया। साथ ही मंदिर के तोरणद्वार के लिए विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि एवं ओपन जिम देने की स्वीकृति प्रदान की एवं भविष्य में अन्य सहयोग का भी आश्वासन दिया। सत्यनारायण अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, संजय मोदी, शैलेश अग्रवाल, सुनील ठाकुर, कान्हा अग्रवाल जितेंद्र गोयल, गंगाधर पाराशर, शुभम ठाकुर, रितेश खेमूका आदि सभी सदस्य उपस्थित हुए समिति के द्वारा हृदय से विधायक का आभार व्यक्त किया।

जिले का एक मात्र 100 बिस्तर वाला अस्पताल आईएसओ सर्टिफाइड 9001:2008

जिंदल हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर

बस स्टैंड के पास, सिवनी में पहली 1.5 टैरस एमआरआई और टिक्तल टेक्नोलॉजी यहाँ पर सभी ऑपरेशन और सर्जरी मुफ्त में आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह सुविधा केंद्र शासन के दिशा निर्देश के तहत दी जा रही है।

हमारी सुविधाएं: एम.आर.आई. सी.टी. स्कैन, डायलिसिस, पैथोलॉजी (सभी प्रकार की जॉब इम्प्लेंट) ऑपरेशन सुविधा, हड्डी जोड़ने के लिये मैग्निफ्लोटिंग, रॉड एण्ड इम्प्लान्ट फिक्सेशन, बिना टॉके के बच्चादानी ऑपरेशन, हिपस और बटुटे का रिप्लेसमेंट

दलसागर तालाब के पास भगत सिंह वार्ड सिवनी मो. - 6260196758